

भारत में अग्नि सुरक्षा

प्रलिस के लिये:

[राष्ट्रीय भवन संहिता \(NBC\)](#), [भारतीय मानक ब्यूरो](#), [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण](#) ।

मेन्स के लिये:

भारत में अग्नि सुरक्षा के संबंध में वर्तमान प्रावधान, भारत में शहरी आग के लिये अग्रणी मुद्दे, भारत में अग्नि सुरक्षा में सुधार के उपाय ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजकोट गेम-सेंटर में अग्नि दुर्घटनाओं ने अग्नि सुरक्षा नियमों और उनके प्रवर्तन के संबंध में चर्चाओं को उजागर किया है ।

- पुणे के एक बाजार में आग लगने और दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन वसिफोट जैसी घटनाएँ इस संबंध में मज़बूत सुरक्षा जाँच तथा स्पष्ट नियमों की संभावित आवश्यकता को दर्शाती हैं ।

भारत में अग्नि सुरक्षा हेतु आदर्श संहिता क्या है?

- **अग्नि दुर्घटनाओं पर डेटा:**
 - [नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो \(National Crimes Records Bureau- NCRB\)](#) की आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (Accidental Deaths and Suicides in India- ADSI) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में 7,500 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 7,435 लोगों की मृत्यु हुई ।
 - अग्नि दुर्घटनाओं के कारण भारी जनहानि हो रही है तथा वर्ष 1997 में हुए उपहार सनिमा अग्नि किंड और वर्ष 2004 में कुंभकोणम अग्नि किंड जैसी पछिली त्रासदियों से कोई सबक नहीं लिया गया है ।
- **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC):**
 - भारत में एक [राष्ट्रीय भवन संहिता \(National Building Code- NBC\)](#) है जो अग्नि सुरक्षा के लिये केंद्रीय मानक के रूप में कार्य करता है ।
 - इसे [भारतीय मानक ब्यूरो \(Bureau of Indian Standards- BIS\)](#) द्वारा वर्ष 1970 में प्रकाशित किया गया था तथा अंतिम बार वर्ष 2016 में इसका अद्यतन किया गया था ।
 - यह भवनों की सामान्य निर्माण आवश्यकताओं, रखरखाव एवं अग्नि सुरक्षा पर वसितृत दशानरिदेश प्रदान करता है ।
 - **अग्नि सुरक्षा नरिदेशों** का उल्लेख **NBC** के **भाग 4** में किया गया है ।
 - NBC को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्थानीय भवन उपनयिमों में शामिल करना एक अनविर्य आवश्यकता है ।
 - ऐसा इसलिये है क्योंकि **अग्नि शिमन सेवाएँ राज्य का वषिय** हैं, जनिहें **संवधान** की **12वीं अनुसूची** में नगरपालिका के कार्यों के रूप में शामिल किया गया है ।
 - अग्नि की रोकथाम तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनश्चिति करने के लिये **राज्य सरकारें** ज़मिमेदार होती हैं ।
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी '[मॉडल बलिडगि बाय लॉज 2016](#)' राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों को **अपने व्यक्तगित भवन उपनयिम तैयार करने** के लिये मार्गदर्शन प्रदान करता है ।
 - यह कानून **अग्नि से बचाव और सुरक्षा आवश्यकताओं** हेतु मानदंड भी नरिधारति करता है ।
- [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण \(National Disaster Management Authority- NDMA\)](#) ने भी घरों, स्कूलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में दशानरिदेश जारी किये हैं ।
 - NDMA के दशानरिदेशों में **न्यूनतम सुरक्षति स्थान**, संरक्षति निकास तंत्र, सीढियाँ एवं महत्त्वपूर्ण निकास अभ्यास (Drills) के नरिदेश शामिल हैं ।

भारत में NBC द्वारा नरिधारति प्रमुख अग्निसुरक्षा नयिम क्या हैं?

- NBC, अग्निक्षेत्रों में भवनों के नरिमाण पर सीमांकन और प्रतर्बिधों को नरिदषिट करता है:
 - आवासीय क्षेत्त्र, शैक्षणिक और संस्थागत इमारतें **अग्निक्षेत्र 1 (Fire Zone 1)** के अंतर्गत आती हैं, ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके कयिे **औद्योगिक एवं खतरनाक संरचनाओं** (जैसे कारखाने, गोदाम, डेटा केंद्र, वदियुत् और मरम्मत सुवधिरै) के साथ सह-अस्तत्त्व में न हों।
- NBC नरिमाण के लयि **गैर-जवलनशील सामग्रि** के उपयोग को अनवरिर्य करता है, जसिमें सीढयिों की आंतरक दिवारों के लयि न्यूनतम **120 मनिट की अग्निसुरक्षित** रेटगि शामिल है।
- इसमें अग्निके प्रसार को रोकने के लयि भवन की **अधिकतम ऊँचाई, फरश के क्षेत्त्र का अनुपात** और दिवारों एवं फरश की गुणवत्ता से संबंधित प्रवधानों की आवश्यकताओं को भी रेखांकित कयिा गया है।
- **वदियुत् प्रतर्षिटानों में अग्निसुरक्षित तार और केबलगि** होनी चाहयि, उच्च, मध्यम व नमिन वोल्टेज के तार अलग-अलग शाफ्ट/नलकियाओं (Shafts/Conduits) में लगे होने चाहयि तथा अग्निसुरक्षित सामग्रयिों से ढके होने चाहयि।
 - **स्टील समेत सभी धातुओं को संरचनात्मक रूप से भूसंपर्कन प्रणाली से उचित रूप से जोड़ा जाना चाहयि।**
- संहति में **आपातकालीन वदियुत् आपूर्त वितरण प्रणाली** की आवश्यकता है, जसिमें आपातकालीन स्थिति के लयि नकिस संकेत, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, **अग्निसुरक्षा प्रणाली और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली आदि** शामिल हैं।
 - इसमें सुरक्षित नकिसी सुनश्चिति करने के लयि **नकिस पहुँच, नकिस मार्ग, नकिस प्रकाश व्यवस्था** और नकिस संकेत की आवश्यकताओं को भी नरिदषिट कयिा गया है।
- संहति में **स्वचालित अग्निसुरक्षा पहचान और डाउन-कमर पाइपलाइन (Down-Comer Pipelines), ड्राई राइज़र पाइपलाइन, स्वचालित स्प्रिंकलर तथा वाटर स्प्रे** जैसी प्रौद्योगकियिों को शामिल करने की सफिररशि की गई है।

अग्निसुरक्षा पर NDMA के दशानरिदेश:

- **क्या करना चाहयि:**
 - **तैयारी करें:** अग्निसुरक्षा बचने की योजना बनाएँ और इसका नयिमति रूप से अभ्यास करें। सुनश्चिति करें कसिभी नकिस मार्ग स्पष्ट एवं करयिाशील हों।
 - **चेतावनी:** आग लगने की स्थिति में शांत रहें और अलार्म बजाएँ। इमारत में सभी को सचेत करें और सामान से ज़यादा स्वयं की नकिसी को प्राथमकता दें।
 - **नकिस:** नरिधारित नकिस के मार्गों और सीढयिों का प्रयोग करें। आग लगने के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग न करें।
 - **करॉल लो:** धुएँ से बचने के लयि ज़मीन पर नीचे ही रहें।
- **क्या नहीं करना चाहयि:**
 - **घबराना:** शांत रहें और स्पष्ट रूप से सोचें। घबराने से आपके उचित नरिणय लेने की क्षमता में बाधा आ सकती है।
 - **इमारत में पुनः प्रवेश:** कभी भी कसि भी कारण से जलती हुई इमारत में वापस नहीं जाना चाहयि।
 - **लिफ्ट का इस्तेमाल:** अग्निके दौरान लिफ्ट खराब हो सकती है, जसिसे आप इमारत के अंदर फँस सकते हैं।
 - **बना सावधानी के दरवाज़े/खडकियाँ खोलना:** दरवाज़े/खडकियाँ खोलने से अग्निसुरक्षा और भडक सकती है। ऐसा तभी करना चाहयि जब आप उन दरवाज़ों से सुरक्षित बच सकें।

भारत में अग्निसुरक्षा नयिमों के अनुपालन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अग्निसुरक्षा नयिमों की अनदेखी:**
 - यद्यपि राष्ट्रीय दशानरिदेश (राष्ट्रीय भवन संहति) मौजूद है, लेकनि वे अनवरिर्य नहीं हैं, जसिके कारण वभिन्न स्थानों पर उनका करयिान्वयन असंगत है।
 - यहाँ तक कि अनवरिर्य प्रमाणन में भी खामयिाँ हैं, क्योकिसंहति अग्निसुरक्षा सेवाओं को व्यावहारिक कठनाइयों के कारण छूट देने की अनुमति देती है।
 - **जैसे: राजकोट की दुखद दुर्घटना में** इमारत का नरिमाण धातु की चादरों का उपयोग करके कयिा गया था, जसिके परिणामस्वरूप एक बड़ी संरचना का नरिमाण कयिा गया। **मालकियों के पास अग्निसुरक्षा वभिण से प्राप्त आवश्यक NOC** और संपत्ति पर आवश्यक अग्निसुरक्षा आपूर्त भी नहीं थी तथा परसिर में आवश्यक अग्निसुरक्षा उपकरणों का अभाव था।
- **अग्निसुरक्षा ऑडिट का नमिन उपयोग:**
 - अग्निसुरक्षा मानदंडों के लयि जमिमेदार प्राधकारियिों के पास सामान्यतः कर्मचारियिों का अभाव होता है तथा वे शायद ही कभी ऑडिट करते हैं, जसिसे आग का खतरा बना रहता है।
- **अधकारियिों में तैयारी का अभाव और उदासीनता:**
 - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management- NIDM)** की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में अधकारियिों की नषिकरयिता और पछिली आग दुर्घटनाओं से सबक न लेने के लयि उनकी आलोचना की गई।
 - NIDM ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भवन नरिमाण संहतिओं का पालन करने और प्रभावी शहरी नयिोजन को लागू करने से इस त्रासदी को नषिप्रभावी कयिा जा सकता है तथा लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
 - NIDM ने आपदा तैयारी को बढ़ाने के लयि **मज़बूत समुदायों को बढ़ावा देने के महत्त्व** पर भी ज़ोर दयिा।

आगे की राह

- **वधायी सुधार और प्रवर्तन:**
 - **अनविरय अग्नि सुरक्षा संहिता:** सभी राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों के लिये बाध्यकारी एक समान तथा अनविरय राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संहिता लागू करने की आवश्यकता है।
 - सभी भवनों के लिये अनविरय अग्नि सुरक्षा ऑडिट की प्रणाली लागू करना (NBC और NDMA के अनुसार) तथा अनुपालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान करना आवश्यक है।
- **अग्निशमन क्षमताओं को बढ़ावा देना:**
 - **अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण:** राज्य सरकारों को अग्निशमन उपकरणों, अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण और समग्र अग्निशमन सेवा क्षमता को उन्नत करने की दशा में नविश को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **समुदायों को सशक्त बनाना:**
 - **जन जागरूकता अभियान:** नागरिकों को अग्नि सुरक्षा उपायों, निकासी प्रक्रियाओं और भवन संहिता अनुपालन के महत्त्व के संबंध में शक्ति करने के लिये व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।
 - अल्प आयु से ही अग्नि सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति विकसित करने के लिये स्कूल के पाठ्यक्रम में अग्नि सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना अनविरय है। इससे समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सक्रिय भागीदारी नभाने के लिये सशक्त होंगे।
- **अन्य उपाय:**
 - **मॉक ड्रिल:** अग्निशमन सेवाओं को नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने चाहिये ताकि लोगों को ये ज्ञान हो कि ऐसी त्रासदी की स्थिति में क्या करना आवश्यक है।
 - **स्व-उपकरण वाली सामग्री से बने फरनीचर का उपयोग:** आग प्रतिरोधी या स्व-उपकरण वाली सामग्री से बने फरनीचर, कालीन और दीवार कवरिंग का उपयोग करना चाहिये, जो आग के प्रसार को धीमा कर सकती हैं।
 - **उन्नत अग्नि शमन प्रणालियाँ:** स्वचालित स्प्रिंकलर और धुँध प्रौद्योगिकियाँ जैसी उन्नत
 - **अग्निशमन प्रणालियों की स्थापना** को प्रोत्साहित करना।
 - **धुँध को रोकने के लिये उन्नत उपकरणों की स्थापना:** इमारतों में कुछ विशेष उन्नत उपकरणों को स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे कि आग से उत्पन्न धुँध को रोकने वाले उपकरण, ताकि व्यक्तियों का दम घुटने से बचाया जा सके।

